

फर्द अहकाम
(नियम-28)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
मैसर्स जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सुनील वोडा पुत्र ओमप्रकाश निवासी नेहरू प्लेस नई दिल्ली		मोहनकंवर पत्नी सादलसिंह जाति राजपुत, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53)

मुकदमा नम्बर 87/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.05.2025	प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री धनपतसिंह माटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब हांकर पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>26.6.25</u> को पेश हो।	2872-75
26-6-25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीटरसीन अधिकार के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>14.7.25</u> को पेश हो।	
14.7.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>6.8.25</u> को पेश हो।	
16.7.25	वादी वकील डाय पत्रावली को नहीं पेश कर ली जाकर पत्रावली को नोले विज्ञो खालिज करके का प्रार्थना पत्र	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव




पेश करने पर पत्रावली तलब की जाकर
पेश हुई।

वादी वकील द्वारा प्रपत्ती पेश में निवेदन
दिया कि उक्त वादपत्र में लिपिकीय त्रुटि होने
से उक्त वाद को आर्जन पर सीमा दिना
जाकर जलिये विद्वे खारिज करवाया जावे।

चूंकि पत्रावली तामिली की प्रपत्तिका स्थिति
पर है तथा वादी वकील द्वारा पत्रावली जलिये
विद्वे का निवेदन करने पर ~~उक्त~~ वादी
वकील द्वारा पेश आर्जन पर को सीमा
दिना जाकर उक्त वाद इसी स्थिति पर जाये
विद्वे खारिज दिना जाता है।

पत्रावली गम्भा से कम होकर आखिल
दस्ता हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव